संख्या-604/2018/587/22-2-2018-17(58)/2012

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोबरन सिंह पुत्र श्री रामराजा, निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15196/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-17.11.2016) दिनांक-17.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोबरन सिंह पुत्र श्री रामराजा, जो ग्राम-गोना, थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी ने गृह क्लेश के कारण दिनांक 04.01.**19**88 की सुबह लगभग 08:00 बजे लकडी काटने वाली कुल्हाडी से अपनी पत्नी सहित अन्य 04 लोगों की काट-काटकर हत्या कर दी व 02-03 आदमियों को घायल कर दिया।

(2) बन्दी द्वारा दिनांक 29.01.1994 की रात्रि में बैरक में निरूद्ध बन्दी श्रीदेव पर अचानक सोते समय ईंट से सिर पर प्राण घातक प्रहार कर चोट पहुंचाई गयी, जिस कारण बन्दी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-378/1994 में भा0द0वि0 की धारा-304 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-5), आगरा के आदेश दिनांक 31.05.2002 द्वारा 10 वर्ष तथा सत्र परीक्षण संख्या-26/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 एवं 309 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 30.09.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2005 द्वारा दाखिल अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.12.2017 तक 28 वर्ष 02 माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

28 दिन की अपरिहार सजा तथा 39 वर्ष 04 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण वर्तमान में संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति हेतु अस्पष्ट अभिमत दिये जाने आदि के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सोबरन पुत्र श्री रामराजा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सोबरन सिंह (बन्दी संख्या-5959) पुत्र श्री रामराजा निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-604/2018/587/(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in